150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

प्रशासनिक आदेश सं0 116 /2020

यह सर्वविदित है कि वर्तमान में जिला ऊधमसिंहनगर में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। जिला न्यायालय ऊधमसिंहनगर के मुख्यालय रूद्रपुर के कोर्ट सं0 29 सिविल जज (सी0डि0) के न्यायालय में कार्यरत तीन कर्मचारीगण भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं और जिला चिकित्सालय रूद्रपुर के अंतर्गत उपचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायालय के अन्य कर्मचारीगण क्वारंटीन हैं। मा0 उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 2611/UHC/Admin.B/Corona-19 dated 16 June, 2020 के अनुपालन में प्रशासनिक आदेश सं0 110/2020 द्वारा अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के न्यायालय परिसर में उपस्थित आने हेतु ई–गेट पास (e-gate pass) की व्यवस्था आरंभ की गयी थी, परंतु उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि कार्मिकों द्वारा बिना ई–गेट पास धारक अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के साथ संव्यवहार किया जा रहा है और उनसे दस्तावेज व प्रपत्र प्राप्त किये जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की सम्भावना है। जिससे न्यायालय कार्य भी बाधित होगा। अतः मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में समस्त कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि ई–गेट पास के बिना कार्यालय व न्यायालय में उपस्थित आने वाले अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के मामलों को ग्रहण न किया जाये, इसकी अवज्ञा की दशा में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अग्रसारित की जायेगी। समस्त अधिवक्तागण से भी अपेक्षित है कि वर्तमान कोरोना महामारी (Coivd-19 pandemic) के संक्रमण की रोकथाम हेतु एवं न्यायालय कार्य के सुचारू रूप से संपादन हेतु **ई–गेट पास (e-gate pass)** बनवाकर ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करें, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके और न्यायालय के कार्य को भी सुचारू रूप से संपादित किया जा सके।

उक्त आदेश की प्रति समस्त न्यायालयों को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाये। उक्त आदेश की प्रति जिला ऊधमसिंहनगर स्थित समस्त बार एसोशिएशन अधिवक्तागण एवं वादकारीगण को सूचनार्थ प्रेषित की जाये एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

दिनांक 12–08–2020

12.8.2020

(नरेन्द्र दत्त)
जिला न्यायाधीश,
ऊधमसिंहनगर।